"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 जनवरी 2019 — माघ 11, शक 1940

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 7 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-24/2009/14-1(पार्ट). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"18 परिविक्षा,- (1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

(ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की कालावधि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी.

(ग) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी बनने के योग्य नहीं है तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा."

No. F 1-24/2009/14-1(Part). — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural Class-III (Ministerial Executive Service Recruitment Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For rule 18, the following shall be substituted, namely :-

"18 **Probation**. - (1) (a) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(b) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a Maximum of 1 year.

(c) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an employee, then the services of such probationer can be terminated.

(2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed in officiating capacity for a period of 2 years."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमरनाथ प्रसाद, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.